

तारीख
हुकम .

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

5-2-26

पन्नावली चैन ड्रॉ वार्ड के अधिपत्या
इकाश्चित । पन्नावली का अवलोकन
करने पर पाया गया कि बटवारा
उत्ताव तहसील के प्लानः / भू अ / 2025
2701 दिनांक 11-7-25 से न्यायालय को
पाए थे चुके थे संलग्न पन्नावली की
बटवारा उत्ताव का अवलोकन करी
आधिपत्या को करवाया गया कि अधिपत्या
ने कोई आपाई जाहेश नहीं भी गयी
कारने अन्तिम डिडी फौजदारी पन्नावली
5-3-26 को देव दी

5-3-2026

पन्नावली चैन ड्रॉ बटवारा कार्यशर तहसीलकर
इन्फ्रगठ की बटवारा रिपोर्ट के मुताबिक कोडे
ग्राम भूपायता की कुल भूमि रकबा स. 37 नया
से दर्ज रकबा स. 378 रकबा 3.45 हेक्टर
एव रकबा स. 260 की कुल भूमि रकबा स.
70 रकबा 1.03 हेक्टर तहसील इन्फ्रगठ में
स्थित कुल भूमि में से वार्ड गुलाबचण

①

आलयन बदरीलाल के हिस्से में ख. स. 378
रकबा 3.45 हेक्टर में से ख. स. 378/2
रकबा 1.15 हेक्टर एव ख. स. 70 रकबा 1.03 हेक्टर
में से 0.34 हेक्टर चिता-2 योग रकबा
1.49 हेक्टर नया क्षेत्र दर्शायेनुसार रहेगी।

②

प्रतिवादी स. 1 जगदीश आत्मज बदरीलाल के
हिस्से में ख. स. 378 रकबा 3.45 हेक्टर में
ख. स. 378/1 रकबा 1.15 हेक्टर ग्राम भूपायता
नया क्षेत्र अनुसार रहेगी। एव ख. स. 70/3 रकबा 0.34 हेक्टर
चिता 2 योग रकबा 1.49 हेक्टर

रामेश

नम्बर
अहकाम
हुकम की
में जारी हुए

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	-----------------------------------	---------------------------------------------------------------

3) प्रातःपक्षी-स. 2 के हिस्से में ख. स. 70 रुका
1.03 एकर में ख. स. 70/1 रुका 0.34 एकर
ग्राम अणायत नक्शा द्वेष अनुसार रहेगी।

4) प्रातःपक्षी स. 4 - पप्पू अ. वपनीलाल के हिस्से में
ख. स. 378 रुका 3.45 एकर में से ख. स.
378/3 रुका 1.15 एकर क्षति भूमि ग्राम अणायत
रहेगा। वक रहन कदतूर जम्हकरी मथाव
रहेगा। उक्तानुसार आन्तम डिडी जारी की
गई। पञ्जावली पर अन्य कोर्ट शेष
कार्यवाही अपेक्षित मनी रहने से पञ्जावली फाउंड
अथार योकर काड तन्मील दारिफिल दफ्तर ही।

2
उपखण्ड अधिकारी
जाखरी (बून्दी)

अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(O 20, R 6,7)
(Civil Procedure Code, Appendix D)

1.अज अदालतउपखण्ड अधिकारी..... मुकाम.....लाखेरी व इजलास.....श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी (आर0ए0एस)..

गुलाब आ0 बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ग्राम झपायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
नाम 1 जगदीश आ0 बद्री जाति मीणा निवासी झपायता तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

-प्रतिवादीगण

-वादी

वाद बाबत 53,188आर0टी0एक्ट

मुकदमा नम्बर65/दावा/2021.....

सन्

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे..... व हाजिरी श्री अब्दुल सत्तार एडवोकेट.....मिनजानिब मुद्ई रूबरू..... मिनजानिब मुद्दयलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती कि-

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया जाता है मुताबिक बंटवारा कमिशनर तहसीलदार इन्द्रगढ़ कि रिपोर्ट के विवादित अराजी खाता संख्या 37 एवं खाता संख्या 260 में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 378 रकबा 3.45 हैक्टर व खसरा संख्या 70 रकबा 1.03 हैक्टर, कुल रकबा 4.48 हैक्टर ग्राम झपायता तहसील इन्द्रगढ़ में स्थित कृषि भूमि में से ख0सं0 378/2 रकबा 1.15 एवं ख0सं0 70/2 रकबा 0.34 हैक्टर किता 2 योग रकबा 1.49 हैक्टर वादी गुलाब चन्द के हिस्से में रहेगा तथा ख0सं0 378 में से ख0सं0 378/1 रकबा 1.15 हैक्टर ख0सं0 70/3 रकबा 0.35 हैक्टर किता 2 योग रकबा 1.50 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 जगदीश के हिस्से में एवं खसरा संख्या 378 में से ख0सं0 378/3 रकबा 1.15 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 4 पप्पू के हिस्से में रहेगी। एवं प्रतिवादी संख्या 2 दाखा बाई के बेचान से ख0सं0 70 रकबा 1.03 हैक्टर में से ख0सं0 70/1 रकबा 0.34 हैक्टर ग्राम झपायता क्रेता राजेश बाई के हिस्से में नक्शा ट्रेस अनुसार रहेगी। बंटवारा नक्शा ट्रेस निर्णय का भाग रहेगा। बैंक रहन बदस्तूर जमाबन्दी रहेगा। रहन मुताबिक जमाबन्दी यथावत रहेगा नक्शा ट्रेस अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा।

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इन मुकदमें के मय सूद बशरहफीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05 माह 03 सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत
ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)
लाखेरी(बून्दी)

मुद्ई	रूपया	पैसे	मुद्दयलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अजीदावा			1.स्टाम्प अजीदावा		
2.स्टाम्प बकालतनामा			2.स्टाम्प अजी		
3.स्टाम्प वजाह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहोंन		
5.खर्चा गवाहोंन			5.फीस कमिशनर		
6.फीस कमिशनर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिफेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।